

भारत सरकार  
इस्पात मंत्रालय

लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या 2528  
06 अगस्त, 2024 को उत्तर के लिए

स्टील सीट

2528. श्री राजेश वर्मा:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के तहत पहचानी गई विशेष इस्पात की व्यापक श्रेणियां क्या हैं तथा उनके अनुप्रयोगों का ब्यौरा क्या है;
- (ख) इस योजना के निवेश और रोजगार सृजन की संभावनाओं का ब्यौरा क्या है;
- (ग) इस्पात मंत्रालय द्वारा शुरू की गई "मेड इन इंडिया" ब्रांडिंग पहल को किस तरह से क्रियान्वित किया जा रहा है;
- (घ) इस तरह की पहल से देश के इस्पात क्षेत्र को किस स्तर तक मदद मिलेगी; और
- (ड.) इस पहल में भारतीय गुणवत्ता परिषद (क्यूसीआई) की भूमिका का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

इस्पात राज्य मंत्री

(श्री भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा)

(क) और (ख): विशेष इस्पात के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन योजना (पीएलआई) के तहत विशेष इस्पात की पांच मुख्य श्रेणियों की पहचान की गई, जो (i) लेपित/प्लेटेड इस्पात उत्पाद; (ii) उच्च क्षमता/घिसाव रोधी इस्पात; (iii) स्पेशियलिटी रेल्स; (iv) मिश्रधातु इस्पात उत्पाद एवं इस्पात वायर और (v) विद्युत इस्पात हैं। विशेष इस्पात हेतु पीएलआई योजना के तहत चयनित कंपनियां योजना की अवधि की समाप्ति तक लगभग 29,530 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश और लगभग 18,000 व्यक्तियों को अतिरिक्त प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

(ग) से (ड.): इस्पात उत्पादों की 'मेड इन इंडिया' ब्रांडिंग क्यूआर कोड, जिसमें उत्पाद का विवरण शामिल है, के साथ 'मेड इन इंडिया' लेबल के माध्यम से घरेलू इस्पात उत्पादों को लेबलिंग प्रदान करता है। प्रमुख एकीकृत इस्पात संयंत्रों द्वारा एक पायलट रोल आउट लागू किया गया है। भारत विनिर्मित इस्पात उत्पादों में विश्वास बढ़ाने के लिए 'मेड इन इंडिया' ब्रांड इस्पात उपभोक्ताओं को क्यूआर कोड का इस्तेमाल कर उत्पाद का विवरण देखने में सक्षम बनाएगी। इस्पात मिल मालिक अपने उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय बाजार में 'ब्रांड इंडिया' के तहत दर्ज कर सकते हैं और इस प्रकार भारत में निर्मित इस्पात उत्पादों को पसंद करने वाले इस्पात ग्राहकों को आकर्षित कर सकते हैं। इस्पात हेतु उत्पादक देश तथा गुणवत्ता मापदंडों की शुरुआत तथा निर्धारण भारतीय गुणवत्ता परिषद (क्यूसीआई) की सहायता से आयोजित हितधारकों के परामर्श से किया गया। क्यूसीआई ने 'मेड इन इंडिया' लेबल के लिए प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म के विकास एवं प्रबंधन में भी सहायता की है जो विनिर्माताओं को प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण करने की अनुमति देता है।